

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 10, सोमवार, शके 1947- सितम्बर 01, 2025 Bhadra 10, Monday, Saka 1947- September 01, 2025	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 01, 2025

संख्या एफ. 13(15)विशा/विस/2025 :-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 जैसा कि दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No.15 of 2025

THE FACTORIES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2025

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Factories (Rajasthan Amendment) Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 54, Central Act No. 63 of 1948.- In section 54 of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), in its application to the State of Rajasthan, hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) the existing provision shall be numbered as sub-section (1); and

(ii) after the sub-section (1) so numbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may by notification in the Official Gazette, extend the daily maximum hours of work specified in this section up to ten hours inclusive of interval for rest in any day, subject to a maximum of forty-eight hours in any week as specified in section 51, in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient, and the remaining days of the said week for the worker shall be paid holidays.”.

3. Amendment of section 55, Central Act No. 63 of 1948.- In section 55 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:-

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the State Government may by notification in the Official Gazette, extend the total number of hours of work of a worker without an interval to six hours in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient due to the provision of flexibility in working hours as specified in sub-section (2) of section 54.”.

4. Amendment of section 56, Central Act No. 63 of 1948.- In section 56 of the principal Act,-

(i) the existing provision shall be numbered as sub-section (1); and

(ii) after the sub-section (1) so numbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may by notification in the Official Gazette, increase the spread over up to 12 hours inclusive of his intervals for rest in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient, due to the provision of flexibility in working hours as specified in sub-section (2) of section 54.”.

5. Amendment of section 64, Central Act No. 63 of 1948.- In section 64 of the principal Act,-

(a) the existing expression in sub-section (1) “other than the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 66 and of the proviso to that sub-section,” shall be deleted.

(b) in clause (iv) of sub-section (4), for the existing word "fifty", the words "one hundred" shall be substituted."

6. Amendment of section 65, Central Act No. 63 of 1948.- In sub-section (3) of section 65 of the principal Act,-

(i) in clause (iv), for the existing words “seventy-five”, the words “one hundred and forty four” shall be substituted;

(ii) after the clause (iv) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

“(v) a worker may be required to work for overtime subject to the consent of such worker for such work except worker required to work for safety activities.”.

7. Amendment of section 66, Central Act No. 63 of 1948.- In sub-section (1) of section 66 of the principal Act, for the existing clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) women shall be entitled to be employed in all factories for all types of work and they may also be employed, with their written consent before 6 A.M. and beyond 7 P.M. subject to such conditions relating to safety and security measures or safeguards, holidays and working hours or any other condition, to be observed by the occupier, as may be prescribed.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Government of India (GOI) has issued a Compliance Reduction and Deregulation docket for the State, seeking revision in working hours limit for factory workers. So, It is considered necessary to amend the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948) in its application to the State of Rajasthan to increase the maximum production capacity of factories and allow factory occupier to create more jobs and to ensure presence of workers to work or supervise machines or processes as required.

The proposed Bill also provides the increased presence of women in the labour force and enable them to contribute more to the economy and to enhance their own earning and to benefit women aspiring for jobs in remunerative industries which are regularly operating night shifts, subject to their written consent with safeguards.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

**भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.**

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules, prescribing the conditions relating to safety and security measures or safeguards, holidays and working hours or any other condition for women.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matter of detail.

**भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.**

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), in its application to the State of Rajasthan.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

2025 का विधेयक सं.15

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम कारखाना (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 54 का संशोधन.- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63), जिसे इसमें इसके आगे मूल अधिनियम कहा गया है, राजस्थान राज्य में इसके लागू होने के निमित्त उसकी धारा 54 में,-

(i) विद्यमान उपबंध को उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

“(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, इस धारा में विनिर्दिष्ट काम के अधिकतम दैनिक घंटों को, धारा 51 में विनिर्दिष्ट किसी सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घंटों के अध्यधीन रहते हुए, किसी दिन विश्राम के लिए अन्तरालों को समाविष्ट करते हुए, ऐसी शर्तों पर जो वह समीचीन समझे, दस घंटे तक बढ़ा सकेगी और उक्त सप्ताह के शेष दिन कर्मकार के लिए वैतनिक अवकाश होंगे।”।

3. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 55, का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

“(3) उप-धारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, किसी कर्मकार के किसी अंतराल के बिना काम के कुल घंटों की संख्या को, धारा 54 की उप-धारा (2)

में यथाविनिर्दिष्ट काम के घंटों में लचीलेपन के उपबंध के कारण ऐसी शर्तों पर, जो वह समीचीन समझे, छह घंटे तक बढ़ा सकेगी।”।

4. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 56 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 56 में,-

(i) विद्यमान उपबंध उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी,

अर्थात्:-

“(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, धारा 54 की उप-धारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट काम के घंटों में लचीलेपन के उपबंध के कारण, ऐसी शर्तों पर, जो वह समीचीन समझे, विश्राम के लिए अंतरालों सहित, विस्तृति को बारह घंटों तक बढ़ा सकेगी।”।

5. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 64 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 64 में,-

(क) उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति, “और धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) के और उस उपधारा के परन्तुक के उपबन्धों के सिवाय” हटायी जायेगी।

(ख) उप-धारा (4) के खण्ड (iv) में, विद्यमान शब्द “पचास” के स्थान पर अभिव्यक्ति “एक सौ” प्रतिस्थापित की जायेगी।”।

6. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 65 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (3) में,-

(i) खण्ड (iv) में, विद्यमान शब्द “पचहत्तर”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “एक सौ चवालीस” प्रतिस्थापित की जायेगी।”।

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(v) सुरक्षा क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित कर्मकार को छोड़कर, किसी कर्मकार से, ऐसे काम के लिए कर्मकार की सहमति के अध्यक्षीन रहते हुए, अतिकाल काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी।”।

7. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 66 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (1) में, विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ख) अधिष्ठाता द्वारा अनुपालन किये जाने वाले सुरक्षा और संरक्षा अध्यापकों या रक्षोपायों, अवकाशों और काम के घंटों से संबंधित किसी शर्त या किसी अन्य शर्त, जो विहित की

जाये, के अध्यक्षीन रहते हुए, स्त्रियां समस्त कारखानों में, समस्त प्रकार के कामों के लिए नियोजित किए जाने की हकदार होंगी और उन्हें उनकी लिखित सहमति से, पूर्वाह्न छह बजे से पूर्व और अपराह्न सात बजे के पश्चात् भी नियोजित किया जा सकेगा।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने कारखाना कर्मकारों के लिए काम के घंटों की सीमा के पुनरीक्षण करने के लिए, राज्य हेतु, अनुपालन में कमी और अविनियमन संबंधी डाकेट जारी किया है। इसलिए, कारखानों की अधिकतम उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और कारखाना अधिष्ठाता को अधिक नौकरियां सृजित करने के लिए अनुज्ञात करने और काम करने के लिए कर्मकारों की उपस्थिति या मशीनों या यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

प्रस्तावित विधेयक श्रम बल में स्त्रियों की उपस्थिति को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान देने के लिए और अपनी स्वयं की आजीविका बढ़ाने में समर्थ बनाने हेतु और लाभकारी उद्योगों में नौकरी की आकांक्षा करने वाली स्त्रियां, जो नियमित रूप से रात्रिकालीन पारीयां संचालित कर रही हैं, रक्षोपायों के साथ उनकी लिखित सहमति के अध्यक्षीन रहते हुए, लाभ पहुंचाने का भी उपबंध करता है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 7, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को स्त्रियों के लिए सुरक्षा और संरक्षा अध्युपायों या रक्षोपायों, अवकाशों और काम के घंटों से संबंधित किसी शर्त या कोई अन्य शर्त विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Government Central Press, Jaipur.